

A 4
7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 262/2025

सुमेर सिंह पुत्र केशर सिंह, निवासी ग्राम तेतरा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू राज0।

—रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 16.06.2025 न्यायालय तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम सुमेर सिंह अन्तर्गत धारा 91 एल0आर0 एक्ट मु0नं0 149/2024

उपस्थित :-

1. श्री अनवार हसन खान, एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.05.2026


प्रस्तुत अपील तहसीलदार, मण्डावा के आदेश दिनांक 16.06.2025 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तेतरा द्वारा रघुवीर सिंह की शिकायत पर एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम तेतरा में स्थित भूमि खसरा नं0 109 रकबा 0.11 है0 गै0मु0 रास्ता में से 50 वर्गमीटर भूमि पर गैर सायल/अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल/अपीलान्ट को धारा 91 एल0आर0 एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। परन्तु उक्त नोटिस अपीलान्ट को कभी नहीं मिला। उक्त नोटिस की तामील अपीलान्ट पर आज तक नहीं हुई। मामले में बिना अपीलान्ट को सुने ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 16.06.2025 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का निर्णय पारित कर दिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.06.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेश करनी आवश्यक हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार कर अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तथाकथित अतिक्रमण बताया है वह अतिक्रमण है ही नहीं। शिकायतकर्ता व शिकायतकर्ता के परिवार के 10-15 घर अर्थात् शिकायतकर्ता व शिकायतकर्ता के पूर्वजों के समय से भी पुख्ता मकानात बनाकर आबाद हैं तथा सभी भाइयों के बीच में छोटा सार्वजनिक चौक रखा हुआ है जिसके बीच से होता हुआ सभी का रास्ता है जो आम सड़क पर निकलकर आता है तथा अपीलान्ट का मकान जिसको अतिक्रमण माना गया है वह शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह का मकान दोनों का मकान बराबर में है। शिकायतकर्ता अपीलान्ट के सगे ताउ का लड़का है तथा दोनों के ही रास्ते शामिल में शामिल होती चौक में आकर मैन रोड़ पर आकर मिल जाता है तथा शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह के एक रास्ता दूसरा भी पीछे की साइड में आकर मैन रोड़ पर मिल जाता है इस प्रकार महज रघुवीर सिंह को फायदा देने के लिए हल्का

जिला कलक्टर झुंझुनू

A 4

पटवारी ने रघुवीर सिंह से मिलकर गलत रिपोर्ट पेश की है जिस पर गौर नहीं कर आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के मकान के साथ-साथ अपीलान्ट के अन्य परिवारजन के मकानात भी बने हुए हैं तथा शिकायतकर्ता के भी मकान बने हुए हैं सब एक ही जगह बने हुए हैं मौके पर तथाकथित रास्ता सैंकड़ों वर्ष से देखने में नहीं आया है। अपीलान्ट व शिकायतकर्ता के पास से आम पुख्ता सड़क निकल रही है शिकायतकर्ता के घर के आगे व पीछे दोनों तरफ रास्ते लग रहे हैं शिकायतकर्ता तीसरा रास्ता लेना चाहता है जिसके लिए हल्का पटवारी से मिलकर गलत रिपोर्ट पेश करवाई है जिस पर गौर न फरमाकर उक्त आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। शिकायतकर्ता के पास आम सड़क पर आने के लिए आगे व पीछे दो रास्ते हैं जो अपीलान्ट के घर के रास्ते के बेहतर है फिर भी शिकायतकर्ता अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए पटवारी से मिलकर उक्त रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को मुगालता देकर गलत आदेश पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने में भारी कानूनी भूल की है पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट को साक्ष्य से साबित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा दिनांक 16.06.2025 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार कर अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तथाकथित अतिक्रमण बताया है वह अतिक्रमण है ही नहीं। शिकायतकर्ता व शिकायतकर्ता के परिवार के 10-15 घर अर्थात् शिकायतकर्ता व शिकायतकर्ता के पूर्वजों के समय से भी पुख्ता मकानात बनाकर आबाद हैं तथा सभी भाइयों के बीच में छोटा सार्वजनिक चौक रखा हुआ है जिसके बीच से होता हुआ सभी का रास्ता है जो आम सड़क पर निकलकर आता है तथा अपीलान्ट का मकान जिसको अतिक्रमण माना गया है वह शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह का मकान दोनों का मकान बराबर में है। शिकायतकर्ता अपीलान्ट के सगे ताउ का लड़का है तथा दोनों के ही रास्ते शामिल में शामलाती चौक में आकर मैन रोड़ पर आकर मिल जाता है तथा शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह के एक रास्ता दूसरा भी पीछे की साइड में आकर मैन रोड़ पर मिल जाता है इस प्रकार महज रघुवीर सिंह को फायदा देने के लिए हल्का पटवारी ने रघुवीर सिंह से मिलकर गलत रिपोर्ट पेश की है जिस पर गौर नहीं कर आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के मकान के साथ-साथ अपीलान्ट के अन्य परिवारजन के मकानात भी बने हुए हैं तथा शिकायतकर्ता के भी मकान बने हुए हैं सब एक ही जगह बने हुए हैं मौके पर तथाकथित रास्ता सैंकड़ों वर्ष से देखने में नहीं आया है। अपीलान्ट व शिकायतकर्ता के पास से आम पुख्ता सड़क निकल रही है शिकायतकर्ता के घर के आगे व पीछे दोनों तरफ रास्ते लग रहे हैं शिकायतकर्ता तीसरा रास्ता लेना चाहता है जिसके लिए हल्का पटवारी से मिलकर गलत रिपोर्ट पेश करवाई है जिस पर गौर न फरमाकर उक्त आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। शिकायतकर्ता के पास आम सड़क पर आने के लिए आगे व पीछे दो रास्ते हैं जो अपीलान्ट के घर के रास्ते के बेहतर है फिर भी शिकायतकर्ता अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए पटवारी से मिलकर उक्त रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को मुगालता देकर गलत आदेश पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने में भारी कानूनी भूल की है पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट को साक्ष्य से साबित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा दिनांक 16.06.2025 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।



जिला फलक्टर झुन्झुनू

54/3

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम तेतरा के भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से 50 वर्गमीटर भूमि पर टीनशेड डालकर भूमि में अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को तेतरा के भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से 50 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों की जांच नहीं की और न ही अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण उसके सभी पहलुओं की जांच कर तथा पक्षकारों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान कर किया जाना ही न्यायोचित है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 16.06.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका देकर तथा अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे ग्राम पंचायत के पट्टे की सत्यता की जांच करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलेक्टर, बुधबू